## कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक *22%* /14-1(145149/2021) आगरा, दिनांक, *29/11*, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषय:-

जनपद मथुरा में कोसीकला के पास स्थित कोकिला वन शनिधाम परिक्रमा मार्ग (मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण), मथुरा के द्वारा परिक्रमा मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.0112 हैक्टेयर आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उ०प्र० लखनऊ की पत्र संख्या 8बी/यू०पी०/06/241/2021/एफ०सी०/456 दिनांक 18.10.2021 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 1313/11सी—एफ०पी०/यू०पी०/रोड/145149/2021 दिनांक 22.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपित्तयों का बिन्दुवार निराकरण कर सम्बन्धित अभिलेखों सहित आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा के पत्रांक 1968/14—1 दिनांक 25.11.2021 (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। प्राप्त आख्या के आधार पर आख्या निम्नवत् है :--

25.11.2021 (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। प्राप्त आख्या के आधार पर आख्या निम्नवत् है :		
1.	Detailed muck calculation and muck	प्रश्नगत परियोजना के अन्तर्गत कोई भी मक डिस्पोजल की सामग्री
	disposal scheme as approved by	उत्पत्ति नहीं होगी, जो कूड़ा–करकट उत्सर्जित होगा वह मार्ग
	concernmed DFO needs to be	निर्माण में ही प्रयोग कर लिया जायेगा । इस कारण मक डिस्पोजल
	submitted.	हेतु कोई योजना तैयार नहीं की गयी है ।
2.	Alternative alignments needs to be	प्रश्नगत परियोजना का क्षेत्र कोकिला वन शनिधाम परिक्रमा मार्ग
	explored and depicted on toposheets,	का क्षेत्र है । जिसमें ग्राम समाज की भूमि के साथ आरक्षित वनभूमि
	Proper justification needs to be	का मार्ग भी उक्त मार्ग में समिमलित है । शनिदेव मन्दिर की
	provided for selection of said route	श्रद्धालुओं के द्वारा दी जाने वाली परिकमा के लिए कोई दूसरा क्षेत्र
	and why forest land cannot be	अवस्थित नहीं है । इस कारण से गैर वनभूमि व आरक्षित वनभूमि
	avoided?	में प्रस्तावित परियोजना में श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने हेतु
		प्रस्तावित परियोजना के अनुसार वर्णित कार्य कराये जा रहे हैं ।
4.	It appears from the satellite imageries	प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि पर कोई
	that the Ashram is also in forest. This	आश्रम/मट स्थापित नहीं है । परिक्रमा मार्ग में गैर वनभूमि पर मट
	needs to be clarified and if it is not in	स्थापित है जिसके खसरा खतौनी तथा मानचित्र की प्रमाणित प्रति
	forest then it needs to be	संलग्नक-2 के रूप में संलग्न है ।
	supplemented by relevant records.	
5.	It is indicated that no tree felling is	प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित आरक्षित वनभूमि में कुछ वृक्ष
	involved, however, satellites	अवस्थित खड़े है जिन्हें प्रस्तावित निर्माण कार्य में पातन हेतु शामिल
	imageries indicate presence of denue	नहीं किया गया है । उन वृक्षों को अवस्थित रखते हुए शनिदेव
1	vegetation, this needs clarification.	मिन्दिर की परिकमा करने वाले श्रद्धालुओं को वृक्षों की छाया/बैठने
		इत्यादि के उपयोग में लिया जायेगा।
6.	The NFL provided for CA should be	प्रश्नगत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जो भूमि प्रस्तावित की गयी है वह
	adjacent to forest block for case of	मादौर ग्राम पंचायत में आरक्षित वन गाटा संख्या—2866ग जिसका
2.	management. Thus, revised area to be	क्षेत्रफल 8.9625 है0 हैं, की सीमा से लगी हुई है । उससे वांछित
	proposed for CA.	अभिलेख संलग्नक-3 के रूप में संलग्न है ।
7.	As per the Google earth imageris	प्रश्नगत परियोजना के बदले में जो समतुल्य गैर वनभूमि खसरा
	dated 16.04.2021, agriculture activity	संख्या—2866मि0 में 2.0112 हे0 उपलब्ध करायी गयी भूमि पूर्व मे
	has been observed on the proposed	किसानों द्वारा जोति जा रही थी जिसे हटाकर उक्त भूमि को
	CA land area.	क्षतिपूरक वनीकरण व वन विभाग के स्वामित्व हेतु उपलब्ध करायी
20	State of the second second	जायेगी। वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई विवाद नहीं है ।

OS/Draftman/letter 2020

8. Cadastral map of propsed CA land area needs to be submitted.

मादौर ग्राम पंचायत का केडिस्टल मैप की प्रमाणित प्रति संलग्नक–4 के रूप में संलग्न है ।

इसके अतिरिक्त विन्दु संख्या-3 की आख्या निम्न प्रकार है :-

3. The certificate on page 56 is counter signed by DFO. It should be signed by the concerned authority.

त्रुटिवश प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या—56 पर अंकित प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया था । आपित्त का निराकरण करते हुए सम्बन्धित प्रमाण—पत्र पर हस्ताक्षर कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्नक—1 के रूप में संलग्न है ।

अतः आख्या से सम्बन्धित अभिलेख 03-03 प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्राप्त प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(राकेश चन्द्र) वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 2296 / समदिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा को उनके पत्रांक 1968/14–1 दिनांक 25.11.

2021 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेत् प्रेषित।

(राकेश चन्द्र) वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।